भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 461**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**बाल देखरेख संस्थानों के संबंध में प्रतिवेदन**

**461. श्री महेश पोद्दारः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके यहां के बाल देखरेख संस्थानों के निरीक्षण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन की क्या स्थिति है;

(ख) अब तक किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपर्युक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है;

(ग) पंजीकरण न कराने या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत अधिदेशित नियमों की अनुपालना नहीं करने के कारण सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले वर्ष के दौरान कितने बाल देखरेख संस्थान बंद हो गए हैं; और

(घ) वर्तमान में बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था करने हेतु प्रत्येक राज्य में प्रस्तावित एकल वृहद सुविधा स्थापित करने की क्या स्थिति है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : 34 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है, 02 (दो) संघ राज्‍य क्षेत्रों, अर्थात दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप में कोई बाल देखरेख संस्‍था (सीसीआई) नहीं है।

 20 राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों, नामत: अंडमान व निकोबार, असम, बिहार, चंडीगढ, छत्‍तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्‍ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, पंजाब, सिक्‍किम, तेलंगाना तथा पश्‍चिम बंगाल ने कुछ विस्‍तृत निरीक्षण रिपोर्टें साझा की हैं । शेष 14 राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों, नामत: त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली, जम्‍मू व कश्‍मीर, कर्नाटक, केरल, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, तमिलनाडु, उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड ने संक्षिप्‍त रिपोर्टें प्रस्‍तुत की हैं ।

(ग) : जैसा कि राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों ने बताया है 8244 पंजीकृत बाल देखरेख संस्‍थाओं में से 539 संस्‍थाओं को राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों ने निरीक्षण के पश्‍चात विभिन्‍न कारणों से बंद कर दिया था ।

(घ) : आज तक हमें संबंधित राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों से इस प्रकार का कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है ।

\*\*\*\*\*